

## 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, मुंबई में माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

-----

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, जिनकी मेजबानी में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस विधान सभा के अध्यक्ष, श्री राहुल नार्वेकर जी और हमारे सबसे वरिष्ठ, जिनका संसदीय पत्रकारिता में एक लम्बा अनुभव रहा, राज्य सभा के उपसभापति, जिन्होंने लंबे समय तक मुंबई में रहकर पत्रकारिता की, डा. हरिवंश जी, विधान परिषद की उपसभापति नीलम जी, महाराष्ट्र विधान सभा के उपसभापति नरहरि जी, महाराष्ट्र विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता अंबादास दानवे जी, सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण, उपाध्यक्षगण, राज्य सभा और लोक सभा के महासचिव!

आज पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन एक ऐसी धरती पर हो रहा है, जो धरती शौर्य की है, वीरता की है, अध्यात्म की है, सामाजिक बदलाव की है, आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारियों की रही है। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते ही देश के हर व्यक्ति का गौरव और सम्मान बढ़ जाता है। यह धरती, छत्रपति शिवाजी की धरती है। इस धरती ने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन चलाये हैं। इस धरती ने आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से समाज और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इस धरती ने आजादी के आंदोलन के अंदर एक नई दिशा दी।

यह धरती अपने आप में सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक परिवर्तन की धरती रही है। इसलिए यह पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी निर्णायक होगा, कुछ फैसले होंगे और उस फैसले और निर्णय से हम हमारे देश की विधायी संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनायेंगे, विधान मंडलों में पारदर्शिता लायेंगे।

बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, विधानमंडलों के अंदर नवाचार, नये नियम बनाना और जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान का रास्ता मुंबई की धरती से निकलेगा। मुंबई की धरती से बहुत बड़े फैसले और निर्णय निकले हैं। इसलिए मुंबई के अधिवेशन के फैसलों ने बहुत बड़े परिवर्तन लाये हैं। इसलिए इस धरती से विशेष रूप से हम सब लोग गौरवान्वित हैं।

इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को सौ वर्ष हो गए हैं। शिमला में 1921 में यह सम्मेलन शुरू हुआ और शिमला में ही हमने सौ वर्ष पूर्ण होने पर वहां सम्मेलन किया। सौ वर्षों में इस विधायी मंच में बहुत चर्चाएं हुईं, संवाद हुए, निर्णय हुए, फैसले हुए। उन निर्णयों और फैसलों से हमने जरूरतों के हिसाब से अपनी विधान मंडलों के अंदर आवश्यक परिवर्तन भी किए हैं। हमारे कार्यक्रम में, हमारी कार्य क्षमताओं में हमने बदलाव किए। इसी चर्चा और संवाद से जो बदलाव हुए हैं, निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम हुए हैं।

हम सब पीठासीन अधिकारी हैं, इसलिए हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने-अपने विधान मंडलों के अंदर वर्तमान चुनौतियों से निपटते हुए बेहतर कार्यक्रम से विधायी क्षमता को बढ़ाएं, जन प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता को बढ़ाएं और वैधानिक संस्थाओं की उत्पादकता को भी बढ़ाने के साथ-साथ प्रभाव को भी कायम करें।

इसीलिए जब हम अमृतकाल में गुजर रहे हैं, तो इस अमृतकाल में हमने देश व राज्यों में बहुत सारे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन विधान मंडलों की चर्चा और संवाद से किए हैं।

चर्चा-संवाद, सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र इसलिए विशेष है कि इतने बड़े मतदान की प्रक्रिया होना और आसानी से सत्ता का हस्तांतरण होना दुनिया को अचंभित करने वाला व मार्गदर्शन करने वाला है। हमने इन विधान मंडलों के माध्यम से चर्चा-संवाद करके कानून बनाए, नीतियां बनाईं, कार्य योजना बनाई और लोगों के जीवन में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन किए।

इसीलिए इन संस्थाओं की महती आवश्यकता है ताकि लोगों की आस्था इन संस्थाओं पर और बढ़े। लोग जिस विश्वास व भरोसे के साथ, जिस अपेक्षा व आकांक्षा के साथ जन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उस समय हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की अपेक्षाएं-आकांक्षाएं सदनों से ही पूरी हों।

कानून बनाने का काम सदनों से ही होगा। सदनों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। मुझे आशा है व हमारी कुछ चिंताएं भी है।

हम लगातार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चिंतन करते रहते हैं। वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं, जिनका समाधान हमें निकालना है।

राजनीतिक दलों से हमें चर्चा-संवाद करना है। विधान सभाओं, विधान परिषदों के अंदर कार्य उत्पादकता के साथ बेहतर तालमेल के साथ अच्छे परिणाम आएँ, जिसका प्रभाव प्रदेश व राज्य की जनता पर पड़े। इसीलिए सदन के अंदर जो चिंताएँ हैं, उन पर हमने कई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा की है।

विशेष रूप से आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, वे विषय विधान मंडल पर जनता का विश्वास व भरोसा तथा विधान मंडल के माध्यम से जनता की आशा-अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधित हैं।

माननीय सदस्यगण, पिछले 100 सालों में जो 84 पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए, तो एक चिंता हमारी हमेशा यह रहती है कि लगातार विधान मंडलों में बैठकों की संख्या घट रही है।

हम सबकी दूसरी चिंता है-सदन में गिरती गरिमा। इस पर बहुत लम्बी डिबेट हुई। हमने भी इस पर 5 साल की लंबी चर्चा की है। कुछ सकारात्मक परिणाम आए भी हैं। आज हम इस सम्मेलन में बैठे हैं, तो कुछ अन्य परिणाम लाने भी पड़ेंगे।

हमने विधान मंडल के माध्यम से कार्य कुशलता में बहुत परिवर्तन किए हैं। आज देश की ज्यादातर विधान सभाएं डिजिटल हो गई हैं। ज्यादातर विधान सभाएं पेपरलेस हो चुकी हैं। ज्यादातर विधान सभाओं में जनप्रतिनिधियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, वे सभी विधान सभाओं ने किए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो एक विचार लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का दिया था, उसे हमने आगे भी बढ़ाया है। मेरा सभी विधान सभा अध्यक्षों तथा विधान मंडलों के सभापतियों से आग्रह है कि समयबद्ध तरीके से हम अपनी-अपनी विधान सभा में पुरानी डिबेट, चर्चा, उठाए गए मुद्दों का डिजिटलीकरण करें और उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला दें, ताकि आने वाले समय में एक लेजिस्लेटिव, एक प्लेटफॉर्म हो, जिससे एक प्लेटफॉर्म पर देश की सभी विधान सभाओं की कार्यवाही देश की जनता देख सके। इससे इन विधान मंडलों में पारदर्शिता व जवाबदेही आएगी।

जो नवाचार जिन विधान सभाओं ने बेहतर किए हैं, उनसे प्रेरणा भी मिलेगी। उसके साथ-साथ जिन विधान सभाओं ने अपनी-अपनी विधान सभाओं में नए नवाचार किए हैं, जिन नवाचारों से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए हैं, वे भी हमें सीखने का अनुभव प्राप्त होगा।

अतः कुछ विधान सभाओं ने कुछ नई परम्पराएं शुरू की हैं। मेरा आग्रह है कि हम विधान सभाओं में कुछ अन्य नई परम्पराएं शुरू करना चाहते हैं। हम लोक सभा, राज्य सभा में भी ऐसा करना चाहते हैं। विधान मंडलों में एक दिन, सभी जन प्रतिनिधि, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज में अपने कार्य-आचरण से अपनी कार्य पद्धति से जो-जो परिवर्तन लाए हैं, उसके अनुभव वे विधान सभाओं में साझा करें। उससे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

देश और प्रदेश की जनता को लगेगा कि सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से अपने अनुभवों व नवाचारों से समाज के लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। एक दिन उस चर्चा से विधायक, सांसद अनुभवों व विचारों को समझेंगे और उनको प्रेरणा मिलेगी। धीरे-धीरे ऐसा समय आएगा, जब लोगों का विश्वास हमारे जन प्रतिनिधियों पर और बढ़ जाएगा।

उनको लगेगा कि ये केवल चुनाव जीतकर विधान सभा नहीं पहुंचे, बल्कि इन्होंने अपने नवाचार से, सामाजिक नैतिक मूल्यों से अपनी-अपनी विधान सभाओं व संसद के माध्यम से लोगों के जीवन में बेहतर परिवर्तन किया है। इसके साथ ही आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन भी किया है तथा सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करके उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को दिलाने का भी काम किया है।

आज विधान सभा के अध्यक्ष जो भी विचार रखेंगे, उन विचारों से यह अनुभव मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी विधान सभाओं में नए-नए परिवर्तन किए हैं। कई विधान सभाओं ने महिलाओं को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया है। उन्हें सभापति पैनल पर बैठाया। आने वाले समय के अंदर उन नवाचारों को देश की जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए।

इसी के साथ साथ शालीनता और गरिमा की हम सभी की चिंताएं हैं। अब नई परंपरा चल गई है। सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना। अब परिवर्तन करने का समय आ गया है। ये विधान सभाएं या लोक सभा या राज्य सभा चर्चा और संवाद के लिए है, तर्क के लिए है, बातचीत के लिए है। इसमें जीतकर आने वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधि प्रदेश और देश का नेता तब बनेगा, जब वह तर्कों के सार्थक चर्चा संवाद करेगा, सहमति असहमति व्यक्त करेगा, विरोध भी व्यक्त करेगा लेकिन कुछ सकारात्मक दिशा में चर्चा करेगा।

तब ही माननीय जनप्रतिनिधि की विद्वता और उसके कार्य की प्रशंसा होगी और विधान मंडलों में कार्य उत्पादकता भी बढ़ेगी।

सभा में गतिरोध न हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक प्रयास करना चाहिए कि कुछ विधान सभाएं मॉडल विधान सभा बने, जहां कभी गतिरोध न हो, संवाद हो, केवल चर्चा हो। एक मॉडल विधान सभा से अन्य विधान सभा को प्रेरणा मिलती है। केन्द्रीय विधान मंडल होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि प्रेरणा तो ऊपर से ही मिलेगी।

हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोक सभा के अंदर गतिरोध न हो, प्लेकार्ड न दिखाया जाए, नारेबाजी न हो, बोलने के लिए सबको पर्याप्त अवसर मिले। अपनी बात कहने का अवसर मिले। लेकिन अब समय आ गया है और यह हमें करना पड़ेगा क्योंकि जनता का विश्वास हमारी संस्थाओं के प्रति बढ़ना चाहिए।

जनता को लगना चाहिए कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है, वह मेरी अपेक्षाएं, मेरी समस्याओं का लोक सभा और विधान सभाओं में रखेगा और लोक सभा एवं विधान सभा ही उसकी समस्या का निदान कर पाएगी, समाधान कर पाएगी।

इसलिए जो मुझे विधान सभा में या लोक सभा में उठते हैं, उन मुद्दों को सरकार भी सकारात्मक रूप से ले। चाहे पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, किसी भी माननीय सदस्य ने कोई विषय उठाया है तो सकारात्मक तरीके से उस समस्या का समाधान करेंगे और धीरे धीरे जनता में इन विधान मंडलों की विशिष्टता और प्रामाणिकता और बढ़ जाएगी।

दूसरा विषय हमारी संसदीय समितियों का है, जिसके लिए हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमें बताना चाहिए कि संसदीय समितियां कितनी उपयोगी हैं।

संसदीय समितियों में चर्चा और संवाद होते हैं। मैंने उनकी कई रिपोर्ट देखी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसदीय समितियों ने जो रिपोर्ट दी है, उससे देश और प्रदेशों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया है। कार्यपालिका में जवाबदेही आयी है, पारदर्शिता आई है, करप्शन कम हुआ है और कई नीतियां और फैसले उन संसदीय समितियों के फैसले और सुझावों पर बने हैं। कई कानून संसदीय समितियों के सुझावों पर बने हैं। इसलिए हमारी संसदीय समितियों मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो।

जो रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट पर क्या एक्शन हुआ, उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी हमें करनी चाहिए ताकि एक बेहतर कार्यकरण होगा और उसके बेहतर परिणाम आएंगे। और जब कानून बनाने का सवाल आएगा, तो जो इनपुट उस संसदीय समिति ने दी है, उसके आधार पर कानून बनेंगे तो इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन सारे विषयों पर हम दो दिन तक चर्चा करेंगे।

मुझे आशा है कि मुंबई के इस अधिवेशन के माध्यम से कुछ निर्णायक फैसले, कुछ ठोस विचार, हम यहां से लेकर जाएंगे जैसे हमारी विधान मंडलों को जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेह बनाना, जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना और जनप्रतिनिधियों में नैतिक आचरण, मर्यादा और कुशलता आए।

अभी सोशल मीडिया का जमाना भी है। हमारी यह अपेक्षा भी रहेगी कि सदन और सदन के बाहर जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। विधान मंडलों की गरिमा के अनुरूप आचरण और व्यवहार करें। केवल उस सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी हमारे जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार को जनता देखती है। उसी नैतिकता को जनता देखती है।

इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, उनका आचार व्यवहार ऐसा सहज और सरल हो कि देश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा और बढ़े। आज यही सवाल है कि जितनी बेहतर विधान मंडलों के अंदर हम कार्यवाही करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों का विश्वास और भरोसा उतना ही बढ़ेगा।

बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी बेहतर हो ले, कितना भी अच्छा क्यों न हो, संविधान को मानने वाले और उनका अनुसरण करने वाले लोग कैसे हैं, उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है।

हम सभी का दायित्व है कि हम विधान मंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों के आचरण, व्यवहार और मर्यादाओं की नैतिकता को और पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगे।

उनके आचरण व्यवहार में जो कुछ भी शुद्धता लानी है, उसके लिए सामूहिक प्रयास करेंगे। और अच्छे अनुभवों और अच्छे कार्यों की प्रेरणा अन्य जनप्रतिनिधियों को मिले, इसके लिए विधान मंडलों का उपयोग हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।

यहां दो दिनों की चर्चा से जो परिणाम निकलेंगे, निश्चित रूप से उस परिणाम के आधार पर हम देश की विधान मंडलों और लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त एवं मजबूत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।